



पत्रांक : /प्र०नि०/प०वि०वि०नि०लि०/विधि/ दि०-

### कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्ध निदेशक उ०प्र०पा०का०लि० लखनऊ द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं० 1551-वि०प०(21)/पाकालि/2012-3(1)वीपी/90-टी०सी-5 दि० 10.10.12 अनुसार मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० के वाणिज्यिक याचिकाओं में पैरवी/नोटिस प्राप्त करने हेतु नियुक्त स्थायी निगम अधिवक्ता, सुश्री अपराजिता बंसल को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० के पैनल एवं स्थायी अधिवक्ता पद से हटाते हुए श्री श्रीप्रकाश सिंह, अधिवक्ता (पंजीकरण सं० यू०पी०-1135/1998 दि० 26.03.98), पुत्र भगवती प्रसाद सिंह कार्यालय-312/12, मानस एनक्लेव (मानस एनक्लेव के पीछे) इंदिरा नगर लखनऊ को मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में पविनिनिलि की वाणिज्यिक/गैरवाणिज्यिक याचिकाओं में पैरवी/नोटिस प्राप्त करने हेतु स्थायी अधिवक्ता पद पर नामित किया जाता है।

श्री श्रीप्रकाश सिंह, अधिवक्ता इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गमन की तिथि से अग्रिम आदेशों तक स्थायी अधिवक्ता नामित रहेंगे, किन्तु इनकी नियुक्ति बिना नोटिस या बिना कारण बताये एवं अधिवक्ता के द्वारा सम्पादित कार्यों की Performance Report के आधार पर कभी भी समाप्त की जा सकती है।

उपरोक्त अधिवक्ता को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० में लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार फीस एवं पारिश्रमिक देय होगा। उक्त अधिवक्ता को कोई रिटेनरशिप देय नहीं होगी तथा उक्त अधिवक्ता द्वारा उ०प्र०पा०का०लि०/प०वि०वि०नि०लि० के विरुद्ध पैरवी नहीं की जायेगी।

उपरोक्त आदेश उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० के द्वारा समय-समय पर लागू की जाने वाली नीति एवं शर्तों के प्रतिबन्धाधीन है।

पत्रांक 1542 /प्र०नि०/प०वि०वि०नि०लि०/विधि तददिनांक: 19-09-18 प्रबन्ध निदेशक  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मा० निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ।
2. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक महोदय के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०) महोदय के निजी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (वा०)/निदेशक (तक०)/निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०) एवं निदेशक (वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
5. विधि अधिकारी, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (वा० एवं ऊ० ले०), शक्ति भवन विस्तार, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (वा०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (वि०)/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, प०वि०वि०नि०लि०।
9. उपविधि अधिकारी, पविनिनिलि मेरठ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
11. श्री श्रीप्रकाश सिंह, स्थायी निगम अधिवक्ता कार्यालय-312 /12, मानस एनक्लेव (मानस एनक्लेव के पीछे) इंदिरा नगर लखनऊ -226015 (मो० सं०-9415039704, 9005494160) प्रति इस आशय से प्रेषित है कि वह सुश्री अपराजिता बंसल, अधिवक्ता से सम्पर्क कर, पविनिनिलि के लम्बित समस्त वादों की पत्रावलियों प्राप्त कर, निगमहित में प्रभावी पैरवी करना सुनिश्चित करे।
12. सुश्री अपराजिता बंसल, अधिवक्ता, ए-1, सपरू मार्ग, लखनऊ -(मो० सं०-9919702111) को प्रति इस आशय से प्रेषित है कि पविनिनिलि के वाणिज्यिक/गैरवाणिज्यिक वादों की लम्बित समस्त पत्रावलियों श्री श्रीप्रकाश सिंह, अधिवक्ता को तत्काल हस्तान्तरित करना सुनिश्चित करे।
13. कम्प्यूटर, रूम नं० 101, पविनिनिलि मेरठ। कार्यालय प्रबन्ध निदेशक मेरठ।

आज्ञा से

(यतीश वत्स)

निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०)